



2026:AHC:65533

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9429 सन् 2026

मारुफ

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : पंकज कुमार गुप्ता

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री पंकज कुमार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री उमाशंकर मिश्रा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य-विपक्षीगण की ओर से, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक मारुफ की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 08 सन् 2026, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अन्तर्गत, थाना रायसती, जिला सम्भल में, विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त वसीम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9022 सन् 2026 में पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद होना बताई जाती है जो वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम है। यह भी निवेदन किया गया है कि पुलिस ने स्वापक औषधि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 एवं 52-क के अनिवार्य उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़-छाड़ की भी कोई सम्भावना नहीं है। दिनांक 08.02.2026 से जेल में निरुद्ध आवेदक यह वचन देता है कि जमानत प्रदान किये जाने पर वह स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. सह-अभियुक्त वसीम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9022 सन् 2026 में दिनांक 17.03.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के कब्जे से 292 ग्राम चरस बरामद होना बताई जाती है, जो वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम है, तथा आवेदक दिनांक 08.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 एवं 52-क के अनिवार्य उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख में प्रतिबिम्बित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 को भी दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, जमानत का मामला बनता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **मारुफ** को उक्त मुकदमा अपराध में रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) के व्यक्तिगत मुचलके तथा दो जमानतदारों, प्रत्येक उसी धनराशि में, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:—

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटन करने से विमुख हो, और साक्ष्य से छेड़-छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारम्भ, (ii) आरोप-विरचन और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित उन तिथियों पर, जब साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कुछ भी इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक ही सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर स्वतन्त्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र है।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।